भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3024
जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

सिख न्यायाधीशों की नियुक्ति

3024. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिख समुदाय से संबंधित दो प्रख्यात वकीलों की पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति पर रोक लगा दी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने भी न्यायाधीश के पद पर उनकी पदोन्नति के संबंध में सिफारिशें की हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) अब तक अनिर्णय की स्थिति में रहने के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा इस मामले पर कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन तथा 28 अक्टूबर, 1998 को उनकी सलाहकारी राय (तीसरा न्यायाधीश मामला) के साथ पठित उच्चतम न्यायालय के 6 अक्टूबर, 1993 के निर्णय (दूसरा न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया के ज्ञापन में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है ।

2. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया के ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालय कॉलिजियम द्वारा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए प्रस्तावों पर, सरकार के पास विचाराधीन नामों के संबंध में उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए, ऐसी अन्य रिपोर्टें/इनपुट जो उपलब्ध कराई जा सकें को ध्यान में रखते हुए, विचार किया जाता है ।

3. उच्चतम न्यायालय ने तारीख 6 अक्टूबर, 1993 को उच्चतम न्यायालय अभिलेख अधिवक्ता बनाम भारत संघ (दूसरा न्यायाधीश मामला) में अपने निर्णय में, अन्य बातों के साथ, पाया कि न्यायिक चयन के लिए मेरिट चयन ही प्रमुख पद्धति है और चयनित होने वाले अभ्यर्थियों में उच्च सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, कौशल, उच्च स्तर की भावात्मक स्थिरता, दृढ़ता, शांति, विधिक विवेकशीलता, योग्यता तथा सहनशीलता होनी चाहिए । पूर्व तीन वर्षों में, उच्चतम न्यायालय कॉलिजिम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 34 सिफारिशें की हैं, जिनमें से 31 को न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त जा चुका है ।

4. उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत तथा सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसके लिए दोनों राज्य तथा केंद्रीय स्तर पर विभिन्न सांविधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित होता है । सरकार, इस सहयोगकारी प्रक्रिया

के फलस्वरूप उच्चतम न्यायालय कॉलिजिम द्वारा की गई सिफारिशों पर अपनी राय का प्रयोग करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सांविधानिक न्यायालयों में न्यायाधीश के सम्मानित पद पर सबसे उपयुक्त और मेधावी अभ्यर्थी की नियुक्ति हो । केवल उन्हीं व्यक्तियों की उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की जाती है, जिनके नाम उच्चतम न्यायालय कॉलिजियम द्वारा सिफारिश किए गए हैं ।

****